**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Revision Petition No. 295/2026
URN: CR / 480U / 2026

Praveen Kumar S/o Harlal

----Petitioner

Versus

Brajmohan Meel & Ors.

----Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Pradeep Kumar, Adv. with<br>Mr. Waseem Ahmed, Adv.<br>Mr. Parth Singh Dhakad, Adv.<br>Mr. Shubhendu Pilania, Adv.<br>Mr. Gaurav Choudhary, Adv. |
| For Respondent(s) | : | |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**08/07/2026**

याची/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा प्रवीण कुमार बनाम बृजमोहन व अन्य एकलपीठ सिविल निगरानी याचिका संख्या 161/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से प्रारम्भिक रूप से विवाद्यक विरचित कर उक्त विवाद्यक निर्णीत किये जाने का आदेश दिया गया था। जिसके पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित कर निर्णय दिनांक 12.05.2026 द्वारा उसका निस्तारण किया। विवाद्यक संख्या 1 के तहत यह तय किया कि वाद धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चलने योग्य है। धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महाधिवक्ता द्वारा अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। जबकि यह वाद पति–पत्नी द्वारा प्रस्तुत किया

गया है, जो एक ही व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के बावजूद भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य लंबित दीवानी वाद संख्या 113/2018 बृजमोहन व अन्य बनाम हरलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2026 के विरुद्ध अपील लंबित है, जिसमें भी दोनों पक्षों के मध्य विवाद से संबंधित विषयवस्तु अंतर्वलित है। अतः आगामी तारीख पेशी तक वाद की कार्यवाही स्थगित की जावे।

सुना गया तथा पत्रावली व धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तारीख पेशी तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बृजमोहन व अन्य बनाम हरलाल व अन्य दीवानी वाद संख्या 109/2018 सी.आई.एस. नंबर 198/2018 में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे। यह आदेश प्रत्यर्थीगण की तामील के पश्चात प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर उपस्थित पक्षों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित किया जावेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण के नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/11